संख्या-35/2020/847/86-2020-52(सा0)/2019टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 जून, 2020

विषयः-कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों पर देय रायल्टी के भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-115/86-2020-52(सा0)/2019 दिनांक 15.01.2020 जिसके द्वारा कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर उसे अपने विभाग के खाते में आरक्षित करने एवं ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराये जाने एवं सत्यापन उपरान्त वैध परिवहन प्रपत्र पाये जाने पर कटौती की धनराशि ठेकेदार को वापस करने एवं अवैध/त्रुटिपूर्ण परिवहन प्रपत्र पाये जाने पर रायल्टी मद में काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 15.01.2020 द्वारा आपूर्तित उपखनिज पर देय रायल्टी के भुगतान हेतु कार्यवाही किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

(1). कार्यदायी संस्थाओं में ठेकेदारों के प्रस्तुत बिलों से प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 की अनुसूची-1 के अनुसार) की कटौती कर उसे कार्यदायी विभाग अपने खाते में आरक्षित करें।

(2). कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा उस जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक से कराया जायेगा, जहॉ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किया गया है/कराया जा रहा है। परिवहन प्रपत्रों के उक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही किए जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाए जाने पर ठेकेदार के बिल से रायल्टी के मद में कटौती की गयी धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के सत्यापन के उपरान्त उसे त्रुटिपूर्ण/अवैध पाये जाने पर रायल्टी मद में कार्यदायी संस्था द्वारा काटी गयी धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(3). खनिज विभाग द्वारा परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त परिवहन प्रपत्र को अपने पोर्टल पर चिन्हांकित कर फ्लैग किया जाये, ताकि एक ही परिवहन प्रपत्र अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं में उपयोग न किया जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4). उक्त प्रक्रिया समयबद्ध ढ़ग से पूर्ण किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रस्तुत परिवहन प्रपत्रों का सत्यापन अधिकतम 07 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कटौती की गयी धनराशि में से अवैध परिवहन प्रपत्रों से सम्बन्धित धनराशि को अधिकतम् 15 दिन के अन्दर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक "0853-अलौह" खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क-01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क" में हस्तान्तरित कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अवगत कराया जाये।

3. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में जिलाधिकारी द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यो सम्बन्धी मासिक बैठक में खनन विभाग के जनपदीय अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा किया जाना आवश्यक है :-

(1) कार्यदायी सस्थाओं द्वारा ठेकेदार के बिलों से कटौती कर रायल्टी मद में आरक्षित धनराशि।

(2) खनिज विभाग को सत्यापन हेतु सन्दर्भित परिवहन प्रपत्रों की संख्या एवं खनिजवार निहित मात्रा, सत्यापन उपरान्त सही पाये गये परिवहन प्रपत्रों की संख्या व मात्रा।

(3) अवैध/त्रुटिपूर्ण परिवहन प्रपत्रों में निहित मात्रा के सापेक्ष आरिक्षत रायल्टी धनराशि में से खनिज विभाग के लेखाशीर्षक में जमा करायी गयी धनराशि।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या : (1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0, को अनुपालनार्थ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डॉ0 रोशन जैकब)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in